रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1655] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 08, 2018/वैशाख 18, 1940
No. 1655] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 08, 2018/VAISAKHA 18, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 08 मई, 2018

का.आ. 1842(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	**नई रारा सं.**	**राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण**
(1)	(2)	(3)
524	148एन	गुजरात राज्य में दोडका (बड़ोदरा) के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गोधरा, दाहोद, मध्य प्रदेश राज्य में रतलाम, जाओरा, राजस्थान राज्य में झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा हरियाणा राज्य में फिरोजपुर जिरका को जोड़ते हुए सोहना के निकट रारा-248ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
525	754के	राजस्थान राज्य में सांगरिया के निकट रारा-54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लूनकरासर, बीकानेर, जोधपुर, थोब, पचपादरा, बालोतरा, संचोर, गुजरात राज्य में थराड, वाव को जोड़ते हुए संतालपुर के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
526	152डी	हरियाणा राज्य में गंघेरी (निकट इस्माइलाबाद) के निकट रारा-152 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कौल धतरथ, लाखन माजरा, कलानौर, चरखी दादरी को जोड़ते हुए और रारा-148बी (नारनौल बाइपास) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/27/2014-पी ऐंड एम](पार्ट-5)

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं. 1466 दिनांकित 03.04.2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2018

S.O. 1842(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	**New National Highway No.**	**Description of National Highways**
(1)	**(2)**	(3)
524	148N	The highway starting from its junction with NH-48 near Dodka (Vadodara) connecting Godhra, Dahod in the state of Gujarat, Ratlam, Jaora in the state of Madhya Pradesh, Jhalawar, Kota, Sawai Madhopur, Lalsot, Dausa in the state of Rajasthan, Firozpur Jhirka and terminating at its junction with NH-248A near Sohna in the state of Haryana.
525	754K	The highway starting from its junction with new NH-54 near **Sangariya** connecting Hanumangarh, Suratgarh, Loonkarasar, Bikaner, Jodhpur, Thob, Pachpadra, Balotra, **Sanchore** in the state of Rajasthan, Tharad, Vav and terminating at its junction with NH-27 near **Santalpur** in the state of Gujarat.
526	152D	The highway starting from its junction with NH-152 near Gangheri (near **Ismailabad**), Kaul Dhatrath, Lakhan Majra, Kalanaur, Charkhi Dadri and terminating at its junction with NH-148B (**Narnaul bypass**) in the State of Haryana.

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M(Pt-5)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 1466 dated 03.04.2018.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.10 17:54:04 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.